UPSR010004292026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– निर्दोष कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D – UP–1659

<u>जमानत आवेदन संख्या–159/2026</u>

मोहम्मद शमीम उर्फ हीरा पुत्र मोहम्मद युनुस उम्र–20 वर्ष निवासी–शमसुलपुरवा, दा०–टंड़वा महन्थ, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती।

–––––– आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1–राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल जनपद–श्रावस्ती।

2– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती।

3– बाल कल्याण समिति, श्रावस्ती।

4– वादी किस्मत अली पुत्र अलीरजा निवासी– टंड़वा महन्थ, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती।

––––– .अभियोजक/वादी।

मुकदमा अपराध संख्या–42/2026
धारा–65(1),352,351(3) बी०एन०एस०
व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम
थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती।

<u>दिनांक–01–04–2026</u>

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद शमीम उर्फ हीरा द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–116/2025 धारा–65(1),352,351(3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी किस्मत अली पुत्र अलीरजा ने पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को तहरीर दिनांक–24–02–2026 को इस आशय से दी कि उसकी पुत्री पीडिता उम्र–14 वर्ष दिनांक–18–02–2026 को समय करीब 7:00 बजे रात्रि में शौच के लिए गयी थी। तब काफी देर तक पीडिता वापस नहीं आयी तो वादी अपनी पुत्री को ढूंढने लगा तो रात्रि करीब 10:00 बजे नहर के किनारे बेहोशी की हालत में उसकी पुत्री पड़ी मिली और उसके कपड़े फटे हुये थे

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.03.31 15:53:02 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

और अस्त व्यस्त थे। जब वादी की पुत्री को होश आया तो उसने बताया कि विपक्षी हीरा ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और बेहोश होने पर छोड़कर भाग गया। जिसकी शिकायत वादी अपनी पुत्री को लेकर विपक्षी हीरा के घर गया तो विपक्षीगण मुन्ना, सुग्गा, नेहा ने वादी व उसकी पुत्री को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। वादी लोक लाज के कारण उसी दिन थाने पर नहीं आया था। थाने पर दो बार जा चुके है। हल्का के एस०आई० व अन्य पुलिस वाले सुलह करने का दबाव डाल रहे हैं।

वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना-इकौना में अभियुक्तगण हीरा सहित तीन अन्य मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-42/2026 धारा-65(1),352,351(3) बी०एन०एस० व धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ।

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह अभिकथित किया है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक-25-02-2026 से जिला कारागार श्रावस्ती में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। वादी मुकदमा द्वारा लगाये गये आरोप बिल्कुल झूठे व निराधार है। सच्चाई यह है कि आवेदक/अभियुक्त रिश्ते में वादी मुकदमा का पट्टीदारी का भतीजा लगता है। विगत दिसम्बर माह में वादी के मामा के लड़के की शादी आवेदक/अभियुक्त की सगी चचेरी बहन (शपथी की भतीजी) के साथ हुयी थी। जिसमें बारात हसुआपारा से शपथी के गांव में आयी थी। उस बारात में दूल्हे के भाई इस्राईल द्वारा महिलाओं की वीडियो बनाये जाने के सम्बन्ध में कहा सुनी हुयी थी। इसी बात को लेकर वादी मुकदमा व आवेदक/अभियुक्त के बीच तू-तू मैं-मैं हुयी थी। उसी रंजिश के कारण बाद में बिल्कुल झूठे आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त रंजिशन फंसा दिया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट से पीडिता के साथ बलात्कार की घटना का समर्थन नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय (वास्तव में प्रथम आवेदन है जैसा कार्यालय आख्या में अंकित है) जमानत आवेदन है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय पर न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है। अतः आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र मोहम्मद युनुस पुत्र रामशूल हक का दिया गया है कि सत्यता यह है कि आवेदक/अभियुक्त के सगी चचेरी बहन की शादी में जब आवेदक/अभियुक्त आया था। तब आवेदक/अभियुक्त को यह भी जानकारी मिली थी कि उपरोक्त मुकदमें की पीडिता से आवेदक/अभियुक्त की जो

शादी तय हो रही है, वह मिर्गी(दौड़ा) की बीमारी से ग्रसित है। उसका वीडियो भी गांव वालों ने दिखाया था। जिसके चलते आवेदक/अभियुक्त ने पीडिता से शादी करने का प्रस्ताव पूर्णतः रद्द कर दिया था। इस कारण पीडिता के परिवार वाले आवेदक/अभियुयक्त व उसके परिवार से अत्यन्त नाराज थे और बदला लेने की भावना से उपरोक्त एफ०आई०आर० गलत तथ्यों के आधार पर लिखवा दिया। एफ०आई०आर० लिखवा देने के उपरान्त भी पीडिता के परिवार वाले आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवार वालों पर यह दबाव डालते रहे कि यदि निकाह कर लो तो मुकदमा वापस ले लेंगे। जब आवेदक/अभियुक्त ने पीडिता (जो मिर्गी की बीमारी से ग्रसित लड़की) से निकाह करने से मंजूरी नहीं दी तो पीडिता ने आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय और स्थानीय थाने में गलत बयान देकर आरोपित कर दिया। जिससे पुलिस ने आरोपी मानकर जेल भेज दिया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा एफ०आई०आर० में अंकित घटना कारित नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त इसी जनपद का निवासी है और जमानत के नियमों का पालन करने को तैयार है। जमानत के नियमों का उल्लंघन करने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ही घर का कमाने वाला एक मात्र व्यक्ति है। जिससे परिवार की आजीविका संकट में है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से अकबर अली पुत्र मोहम्मद उमर, मोहम्मद हनीफ पुत्र शमशुल हक, नानबच्चा पुत्र रियासत, जान मोहम्मद पुत्र जम्बू ने अपना–अपना शपथ पत्र इस आशय से दिया है कि उनकी जानकारी में पीडिता व शमीम का निकाह तय किया गया था। पीडिता मिर्गी के बीमारी से ग्रसित है। इसकी सूचना उन्हे पीडिता के पिता द्वारा ही दिया गया।

वादी की ओर से जमानत आवेदन के विरूद्ध लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है। जिसमें जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि वह उक्त घटना के बावत थाना हाजा पर दो बार दौड़ता रहा और थाना हाजा की पुलिस सुलह हेतु अभियुक्तगण के मिली भगत पर दबाव बनाती रही। विपक्षीगण काफी जबरदस्त व आपराधिक प्रवृत्ति के लोग है जो शिकायत करने पर गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दिये है तथा अप्रिय घटना करने की भी धमकी दे रहे हैं। वादी मुकदमा उक्त घटना के समय घर पर नहीं था। उसकी पुत्री नाबालिग उम्र–14 वर्ष है। जिसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के पैरा–3 में लिखित कथन सर्वथा गलत है। वादी मुकदमा से कोई तू–तू मैं–मैं बारात में नहीं हुयी थी। अतः अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से शहादत्त अली पुत्र अलीरजा, सलमान पुत्र मोहम्मद असलम व इरफान हुसैन पुत्र लिल्लाही, रेशमा पत्नी मोहम्मद इकबाल ने इस आशय से

दिया है कि घटना के पूर्व पीडिता व मोहम्मद शमीम उर्फ हीरा का कोई निकाह वार्ता नहीं हुयी थी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना और केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं तर्कों को दोहराया है और अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। जबकि राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस आपत्ति में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रथम सूचक ने तहरीर में पीडिता की आयु लगभग 14 वर्ष अंकित की है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० में अपनी स्वयं की आयु 14 वर्ष बतायी है तथा यह भी बताया है कि वह पढ़ना लिखना नहीं जानती है। विवेचक द्वारा पीडिता की आयु के सम्बन्ध में उसका मेडिकल कराया है, जो पत्रावली में संलग्न है। सी०एम०ओ०, श्रावस्ती द्वारा पीडिता के एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर **पीडिता की आयु लगभग 14 वर्ष** निर्धारित की गयी है।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि वह हीरा को लगभग 2–3 साल से जानती है और उससे फोन पर बातचीत करती थी और वह उससे शादी करने को भी कहता थां दिनांक–18–02–2026 को शाम में करीब 4:00 बजे उसे छत पर मिला और उससे बोला कि 7:00 बजे मिलना। वह बिना कुछ बोले छत से नीचे आ गयी। शाम में लगभग 7:00 वह अपनी मम्मी को बताकर अकेले शौच के लिए नहर पर गयी। वहा पर हीरा पहले से ही छिपा हुआ था। जैसे ही वह पहुँची हीरा ने उसका हाथ पकडकर खींच लिया और बोला उसके साथ चलो। उसके साथ जाने से इन्कार कर दिया और चिल्लाने का प्रयास किया। तब उसने जबरदस्ती उसे खींच कर उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद वह बेहोश हो गयी। जब उसे होश आया तो वह अपने घर पर थी। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में उपरोक्त कथनों को ही आंशिक रूप से दोहराया है। **परन्तु गलत काम के सम्बन्ध में यह कथन किया है कि वह नहीं बता सकती कि उसके साथ कोई गलत काम हुआ है अथवा नहीं।**

केस डायरी के अवलोकन से यह विदित है कि एफ०आई०आर० 06 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। तहरीर में वादी ने कथन किया है कि वह अपनी

पुत्री को ढूंढने रात में गया था तो उसकी पुत्री नहर के किनारे बेहोशी की हालत में मिली थी। जबकि अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० में वादी ने बताया है कि घटना के समय वह मुम्बई में था और घटना की सूचना पाकर दिनांक–22–02–2026 को घर आया था। इससे एफ०आई०आर० ही स्वयं वादी के कथनों से संदेहास्पद तथ्य के साथ दिया जाना प्रतीत होती है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि घटना दिनांक दिनांक–18–02–2026 को शाम 4:00 बजे अभियुक्त उसे छत पर मिला था और उससे शाम 7:00 बजे मिलने के लिए कहा था। जबकि इसके विपरीत विवेचक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक–01–04–2026 के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक–18–02–2026 को अभियुक्त मोहम्मद शमीम उर्फ हीरा कक्षा–12 की वार्षिक परीक्षा में आचार्य चाणक्य इण्टर कॉलेज महरौली, श्रावस्ती में समय 2:00 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। इससे भी एफ०आई०आर० में दर्शाये गये व पीडिता द्वारा बताये गये घटनाक्रम पर घोर संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वयं पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त के साथ वह शादी करना चाहती थी और तीन साल से बात करती थी। ऐसी परिस्थिति में भी जबरदस्ती बलात्कार करने सम्बन्धी तथ्य में स्वाभाविकता का अभाव दृष्टिगत है और पीडिता ने स्वयं इस तथ्य के बावत बताया है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ अभियुक्त ने गलत काम किया था या नहीं। घटनास्थल नहर की पटरी पर दर्शाया गया है, जहाँ आम रास्ता है और 50 मीटर दूरी पर आबादी है। इससे भी घटना प्राकृतिक होने में संदेह है। न्यायालय में दिखायी गयी वीडियों में पीडिता जमीन पर पड़ी छटपटा रही है और काफी लोग वहां मौजूद हैं। एक व्यक्ति उसे उठाने का प्रयास कर रहा है। इससे पीडिता को मिर्गी सम्बन्धी बीमारी होने की ओर इशारा होता दिखाई देता है। उपरोक्त तथ्यों के सापेक्ष अभियुक्त का प्रतिपरीक्षा का संस्करण अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है कि पीडिता को मिर्गी बीमारी होने के कारण वह उससे विवाह नहीं करना चाहता था और इसी कारण यह मुकदमा वादी पक्ष ने गलत तथ्यों के आधार पर शादी का दबाव बनाने हेतु दर्ज कराया गया है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–25–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो के दृष्टिगत हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद शमीम उर्फ हीरा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–116/2025 धारा–65(1),352,351(3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 पॉक्सो

एक्ट, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत मु० 1,00,000/–(एक लाख रूपये) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डर टेकिंग कि अभियुक्त विचारण के दौरान अनुपस्थित नहीं होगा, भारत छोडकर नहीं जायेगा, न्यायालय का जब भी आदेश होगा उपस्थित होगा, गवाहान के आने पर जिरह करेगा, गवाहान पर पक्षद्रोही होने दबाव नहीं देगा, आरोप एवं बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा के प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित कारागार को ई–मेल के माध्यम से अविलम्ब भेजी जाये।

दिनांक–01–04–2026

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।